बातचीत के बिंदु-04

मजदूर –किसान संघर्ष रैली

सीटू-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन

5 सितम्बर 2018

संसद के समक्ष

स्थायी/बारहमासी काम पर ठेकेदारी नहीं !
समान काम के लिए समान वेतन एवं हितलाभ!

नवउदारवादी व्यवस्था के तहत न केवल निजी क्षेत्र में बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र और केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभागों में ठेका मजदूरों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी हो रही है। जो अब बढ़कर खतरनाक स्तर पर पहुँच गयी है।

आज, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशनों (एमएनसी) सहित निजी क्षेत्र के अधिकांश प्रतिष्ठानों में, तथाकथित 'गैर औपचारिक रोजगार संबंध' वाले ठेका मजदूर, कैजुअल मजदूर, अस्थायी, अंशकालिक श्रमिक, अप्रेन्टिस, प्रशिक्षु, निश्चित अवधि के कर्मचारियों आदि के तौर पर मजदूरों की संख्या – स्थायी श्रमिकों से बहुत अधिक है। सरकार भी स्थायी और बारहमासी प्रकृति की नौकरियों में ठेका मजदूरों या आउटसोर्स मजदूरों को सौंपने का नजरिया अपना रही है। वेतनभोगी कर्मचारियों की छोटी संख्या में भी आज लगभग बहुतायत कर्मचारी ठेके पर हैं। यह पाया गया है कि औसतन, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कुल कर्मचारियों का 50% और निजी क्षेत्र में 70% से अधिक ठेका कर्मचारी हैं।

स्थायी मजदूरों की संख्या को कम करना और तथाकथित 'अनिश्चित रोजगार संबंध' के तहत ठेका मजदूरों और अन्य ऐसे मजदूरों से वही काम लेना, नियोक्ता द्वारा अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए अपनाई गई रणनीतियों में से एक है। अधिकांश प्रतिष्ठानों में, ठेका मजदूरों को दिया जा रहा वेतन, स्थायी मजदूरों को मिलने वाले वेतन का केवल एक अंशमात्र ही होता है, जबकि उनसे वही काम लिया जाता है। मिसाल के तौर पर, चेन्नई में हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड 2300 स्थायी मजदूरों और 'गैर औपचारिक' रोजगार संबंधों के तहत 8000 मजदूरों को नियोजित करता है जिसमें अप्रेन्टिस, अप्रेन्टिस ट्रेनी, ठेका मजदूर आदि शामिल हैं जो सभी सीधे उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जबकि स्थायी मजदूरों को रु० 35000/- मासिक वेतन का भुगतान किया जाता है, वहीं ठेका मजदूरों, अप्रेन्टिस ट्रेनी आदि को रु० 6000/- से रु० 12000/- प्रति माह के बीच ही भुगतान किया जाता है।

कुछ ही अपवादों को छोड़कर ठेका मजदूरों के इन विशाल तबकों को न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ इत्यादि सहित लगभग सभी प्रकार के कानूनी लाभों से वंचित किया जा रहा है, हालांकि वे कानूनी तौर पर इन हितलाभों के हकदार हैं। उनका रोजगार हमेशा ही उनके ठेकेदार और प्रमुख नियोक्ता द्वारा खतरे में ही रहता है। संविदा श्रमिक (आर एंड ए) अधिनियम 1970 के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, वही काम करने वाले मजदूरों को समान वेतन एवं हितलाभ के मामले में स्थिति जस की तस ही है। ठेकेदारी प्रथा, एससी/एसटी कर्मचारियों के आरक्षण के वैधानिक अधिकार से भी इनकार करता है। यह निजीकरण को धीरे–धीरे बढ़ावा देने के अलावा और कुछ भी नहीं है।

इसने अधिकांश कार्यस्थलों पर गंभीर स्थिति में भारी वृद्धि की है, जहाँ एक ही छत के नीचे मजदूरों की दो श्रेणी एक ही समान काम कर रहे हैं लेकिन रोजगार की काफी भिन्न स्थितियों के तहत नियोजित हैं। ऐसी स्थिति का लम्बे समय तक लगातार बने रहना, स्थायी मजदूरों की सेवा शर्तों और सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता के लिए भी खतरा बनता है। स्थायी मजदूरों का वेतन और कामकाजी परिस्थितियां भी हमले की जद में आती हैं। यह निजी क्षेत्र के कई प्रतिष्ठानों में पहले से ही हो रहा है। जब भी यूनियन माँग–पत्र पेश करती हैं तो आजकल कई नियोक्ता अपनी जबावी माँगें रखते हुए जोर देते हैं कि पहले उनकी माँगों पर चर्चा की जानी चाहिए। नियोक्ताओं की माँगों में उत्पादकता लक्ष्यों के नाम पर वेतन व अन्य हितलाभों में कटौती और काम का बोझ में वृद्धि आदि शामिल रहती हैं।

इस तरह की प्रथाओं के कारण, नियोक्ताओं के मुनाफे में वृद्धि के बावजूद, वेतन का औसत स्तर नीचे की ओर ही जा रहा है।

ठेकेदारी के माध्यम से मजदूरों के इस तरह के शोषण के खिलाफ सीटू लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। इसने स्थायी मजदूरों की अपनी सभी यूनियनों को निर्देशित किया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में नियोजित ठेका मजदूरों को संगठित करने के लिए पहल करें; अपने माँग–पत्र में ठेका मजदूरों की माँगों को भी शामिल करें। विभिन्न क्षेत्रों में सीटू से संबद्ध स्थायी कर्मचारियों की कई यूनियनों द्वारा ऐसा किया जा रहा है। कई प्रतिष्ठानों में ठेका मजदूरों को ट्रेड यूनियनों में संगठित किया जा रहा है और गंभीर दमन एवं छंटनी की चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। ठेका मजदूरों की यूनियनों द्वारा हड़ताल पर जाने सहित लड़ाई लडने और सफलताऐं हासिल करने के भी उदाहरण हैं। हजारों अपना वेतन बढ़ाने और नियमित होने में सफल रहे हैं। हालांकि ठेका मजदूरों की कुल और बढ़ती संख्या के मद्देनजर, उन्हें संगठित करने के और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

नवंबर 2010 में आयोजित 43$^{वें}$ भारतीय श्रम सम्मेलन ने संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 में उचित संशोधन करके, स्थायी मजदूरों के समान और समान प्रकृति के काम करने के लिए ठेका मजदूरों को समान वेतन एवं हितलाभ सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी। लेकिन सरकार ने अभी तक भी इसे लागू करने के लिए ठोस उपाय नहीं किए हैं। यह स्पष्ट रूप से नियोक्ता के हितों के लिए सरकार के बेहिचक समर्पण को दर्शाता है।

वर्तमान भाजपानीत सरकार नियोक्ताओं के पक्ष में श्रम कानूनों में संशोधनों के कई कदम उठा चुकी है। इसने श्रम कानूनों में संशोधन करके संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम के कार्यान्वयन से छूट और इस तरह की अनिश्चित कामकाजी परिस्थितियों के तहत मजदूरों की नियुक्तियों को बढ़ावा दिया है। उसके बाद सरकार ने मौजूदा संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 में इस तरह के संशोधन का प्रस्ताव दिया है जो मौजूदा कानून के तहत ठेका मजदूरों के न्यूनतम संरक्षण को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा और उन्हें बेलगाम शोषण के अधीन कर देगा।

इस प्रस्तावित संशोधन के कुछ पहलू इस प्रकार हैं:

1) स्थायी और बारहमासी काम की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। यह बिना किसी बाधा के स्थायी और बारहमासी नौकरियों में ठेका मजदूरों की तैनाती को वैध बनाएगा।
2) 50 से कम मजदूरों को रोजगार देने वाले ठेकेदारों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी; इससे ठेकेदारों का भारी बहुमत श्रम विभाग द्वारा विनियमन और निरीक्षण से बच जाएगा। देश में ठेका मजदूरों का भारी बहुमत अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

3) प्रमुख नियोक्ता द्वारा ''आउटसोर्स'' नौकरी में लगे ठेकेदारों के तहत काम करने वाले मजदूरों को ठेका मजदूर नहीं माना जाएगा और इसलिए अधिनियम के तहत ''एक जैसे काम के लिए एक समान वेतन'' सहित किसी भी सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं।
4) सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन में ये एवं अन्य प्रावधान, ठेका मजदूरों को पूरी तरह से, गुलामों में बदल देंगे।

सरकार द्वारा संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम में संशोधन के कदम उठाना, अन्य सभी श्रम कानूनों में बहुमुखी परिवर्तनों के माध्यम से कार्यस्थलों पर स्थायी मजदूरों की अवधारणा को समाप्त करने की उसकी केंद्रीय खेल योजना का ही एक हिस्सा है; यह नवउदारवादी नीति के हिस्से के तौर पर अस्थायी और नाजुक रोजगार संबंधों को आज की व्यवस्था बनाने के लिए है। इस तरह सरकार अपने कॉरपोरेट–बड़े व्यवसायी आकाओं के लिए ''व्यवसाय करने में आसानी'' सुनिश्चित करना चाहती है। कॉरपोरेट वर्ग के दास के रूप में, सरकार मजदूर वर्ग पर दासता थोपना चाहती है।

हम क्या चाहते हैं?

हम अच्छा उपयुक्त रोजगार चाहते हैं।

हम माँग करते हैं कि:

- स्थायी और बारहमासी प्रकृति के काम के लिए कोई ठेकेदारी बन्द होनी चाहिए।
- जब तक ऐसा न हो तो एक ही या समान काम कर रहे ठेका मजदूरों को, वही वेतन एवं अन्य हितलाभों का भुगतान किया जाना चाहिए।
- सभी प्रतिष्ठानों में स्थायी बारहमासी काम में लगे सभी ठेका मजदूरों को उन संबंधित प्रतिष्ठानों के स्थायी श्रमिकों के रूप में नियमित किया जाए।
- संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन को वापस लिया जाए।

हमारी माँगों को प्राप्त करने के लिए, ठेकाकरण और श्रमशक्ति के अस्थायीकरण को बढ़ावा देने वाली नवउदारवादी नीतियां, जो कि अनिश्चित काम को बढ़ावा देती हैं, को पराजित किया जाना चाहिए। स्थायी मजदूरों को भी इस संघर्ष में ठेका मजदूरों के साथ शामिल होना पड़ेगा क्योंकि जब नियोक्ता कम भुगतान वाले ठेका मजदूरों को दंड से मुक्ति के साथ उपयोग कर सकते हैं तो स्थायी कर्मचारियों के लिए भी उनके मौजूदा हितलाभ को बनाए रखना भी संभव नहीं होगा।

5 सितंबर को संसद के समक्ष 'मजदूर किसान संघर्ष रैली' नवउदारवादी नीतियों को वापस धकेलने और ठेका मजदूरों के अमानवीय शोषण को समाप्त करने के लिए है।

आइए एकजुट हों! संघर्ष करें!

ऐसी सरकारें नहीं जो 0.1% के लिए काम करें

उन नीतियों के लिए जो 99.9% के हित में हों